

नेशनल लोक अदालत, खंडपीठ क्र. 01 दमोह (म.प्र.)
[सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दमोह, जिला दमोह (म.प्र.)]

Reg. No.	MACC/379/2022
Filing No.	943/2022
CNR No.	MP3401-005710-2022
Filing Date	11-10-2022

- 1 श्रीमती नलिनी पति स्व. मनोहर राव तांबे, उम्र 80 वर्ष
- 2 अनिल तांबे पिता स्व. मनोहर राव तांबे, उम्र 55 वर्ष
- 3 कु. मीनाक्षी तांबे पिता स्व. मनोहर राव तांबे, उम्र 54 वर्ष
सभी निवासी सागरनाका, धर्मकांटा के पास, हिरदेपुर,
थाना दमोह देहात, जिला दमोह (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

मनोज साहू पिता स्व. जालम साहू, उम्र 33 वर्ष,
निवासी-एम.आई.जी. 925, दीनदयाल नगर, एस.व्ही.एन.
कॉलेज के पीछे, मकरोरिया, थाना मकरोनिया,
जिला सागर (म.प्र.)

.....अनावेदक

**प्रकरण आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 को आयोजित नेशनल
लोक अदालत में प्रस्तुत।**

14.12.2024

आवेदकगण सहित श्री मृत्युंजय हजारी, अधिवक्ता
उपस्थित।

अनावेदक सहित श्री एम.पी. चौरसिया, अधिवक्ता
उपस्थित।

प्रकरण में आवेदकगण एवं अनावेदक के द्वारा, उभयपक्ष
के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा होना व्यक्त करते
हुए एक संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत
किया। आवेदन स्वीकार कर अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही
समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

समझौता आवेदन पत्र पर विचार किया गया। राजीनामा
विधि अनुसार होने से बाद तस्दीक स्वीकार किया जाता है।
राजीनामा आवेदन अनुसार आवेदकगण एवं अनावेदक के मध्य
न्यायालय के बाहर स्वैच्छिक राजीनामा होना दर्शित है।
अनावेदक के द्वारा राजीनामा की संपूर्ण राशि जमा कर दी गई
है, और कोई राशि लेना शेष नहीं है। प्रकरण में अब कोई
कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण खारिज किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व से निर्धारित तिथि निरस्त की जाती है।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख, नियत
समयावधि में अभिलेखागार में प्रेषित किया जावे।

सही/—
(श्री राजेश पाराशर)
अधिवक्ता/सदस्य

(आनंद कुमार तिवारी)
अध्यक्ष
खण्डपीठ क्रमांक-01
सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)